

सं० सं० 14/एम 11-4/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम          | अनुदान की राशि                           |
|---------|---|------------------------|--|
| 1       | 2   | 3                      | 4  |
| 1       | रामनाथ राम<br>पिता-स्व. परमेश्वर राम<br>ग्राम-चौदी<br>पोस्ट-हरौली<br>थाना-हाजीपुर<br>जिला-वैशाली<br>सी.आरनं०-2015417690               | गोल्ड ब्लाडर रोग       | ₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।          |
| 2       | सुधीर कुमार<br>पिता-जगत नन्दन प्रसाद<br>ग्राम-अलीपुर<br>पो०-बिसाई बीगहा<br>थाना-परवलपुर, जिला-नालंदा<br>सी०आर नं०-2008461904          | गुर्दा प्रत्यारोपण रोग | ₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 3       | चन्द्रभान मिश्रा<br>पिता-बाबु नन्द मिश्रा<br>ग्राम-उदयपुरा<br>पोस्ट-भरपुरवा<br>थाना-विजयीपुर<br>जिला-गोपालगंज<br>सी.आर नं०-2015219387 | ऑत रोग                 | ₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।          |
| 4       | प्रकाश कुमार<br>पिता-प्रेम नाथ प्रसाद<br>ग्राम-विशुनपुर गढ<br>पो०-मौदह<br>थाना-गोरौल<br>जिला-वैशाली<br>सी.आर नं०-2014261724           | मुत्र रोग              | ₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।          |

|    |   |                    |  |
|----|---|--------------------|--|
| 5  | आयुष<br>पिता-संजय कुमार<br>ग्राम+पो0-बसंतपुर पट्टी<br>थाना-सरैया<br>जिला-मुजफ्फरपुर<br>सी.आर नं0-2015443893                       | ब्रेन ट्युमर रोग   | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।          |
| 6  | मो0 असरफ<br>पिता-मो0 लतीफ<br>ग्राम-दादर<br>पो0-कोल्हुआ पैगम्बरपुर<br>थाना-अहीयापुर<br>जिला-मुजफ्फरपुर<br>सी.आर नं0-2015106157     | असाध्य रोग         | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।          |
| 7  | सुनील कुमार यादव<br>पिता-हीरा लाल यादव<br>ग्राम-सहलादपुर<br>पो0-कोल्हुआ<br>थाना-मांझागढ़<br>जिला-गोपालगंज<br>सी.आर नं0-2015236963 | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 8  | संजय कुमार सिंह<br>पिता-स्व. राम केवल सिंह<br>ग्राम-कठरी<br>पो0-वार<br>थाना-मदनपुर<br>जिला-औरंगाबाद<br>सी.आर नं0-2015000160       | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 9  | शिवम कुमार<br>पिता-विजेन्द्र सिंह<br>ग्राम+पो0-कुंड<br>थाना-दीनारा, जिला-रोहतास<br>सी.आर नं0-2014196813                           | हृदय रोग           | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।          |
| 10 | सुजय कुमार गुप्ता<br>पिता-राम लाल प्रसाद<br>ग्राम-अदमापुर<br>पोस्ट-तोरनी<br>थाना-शिवसागर<br>जिला-रोहतास<br>सी.आर नं0-2015059650   | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 11 | अजय सिंह<br>पिता-महेश सिंह<br>ग्राम+पो0-कारीसाथ<br>थाना-उदवन्तनगर<br>जिला-भोजपुर<br>सी.आर नं0-2007191687                          | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 12 | मिथलेश देवी<br>पति-कपिल यादव<br>ग्राम-औराही<br>पोस्ट-थाना-सीमराहा<br>जिला-अररिया<br>सी.आर नं0-2015442315                          | कैंसर रोग          | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।           |
|    |   |                    | 16,50,000/-                              |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,50,000/-( सोलह लाख पचास हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 850158 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हस्ता

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 850158 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।।

हस्ता

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 910 (14)

पटना, दिनांक - 10-8-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ता

निदेशक प्रमुख

16-8-15

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,  
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम             | अनुदान की राशि                             |
|---------|---|---------------------------|--|
| 1       | 2   | 3                         | 4  |
| 1       | विनोद कुमार चौधरी<br>पिता-स्व. सतीश चन्द्र चौधरी<br>ग्राम-गोडाबारी बाजार<br>पोस्ट+थाना-कोढा<br>जिला-कटिहार      | गुर्दा प्रत्यारोपण<br>रोग | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।   |
|         | सिया राम केसरी<br>पिता-स्व. कुलद्वीप प्र० केसरी<br>ग्राम-मारवाड़ी टोला<br>पो०+थाना-हवेली खड़गपुर<br>जिला-मुंगेर | हृदय रोग                  | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
|         |   |                           | कुल ₹ 3,75,000/-                           |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पच्चहतर हजार) का क्रास चेक सं०.....  
..... 850185 ..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक - 10-8-15

ज्ञापांक - 912 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

10-8-15

